झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की
6वीं बैठक

में

श्री अर्जुन मुण्डा

माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

का

अभिभाषण

विज्ञान भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 28 दिसम्बर 2012

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की
6वीं बैठक

में

श्री अर्जुन मुण्डा
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

का

अभिभाषण

विज्ञान भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 28 दिसम्बर 2012

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 6वीं बैठक में आमन्त्रण के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जल संसाधन आज के परिवेश में बहुत ही संवेदनशील विषय होता जा रहा है। 'चाँद' एवं 'मंगल' के सभी अभियानों में हम जीवन से पहले ''जल'' की खोज कर रहे हैं, परन्तु फिर भी भूमि पर जल की महत्ता को भूल रहे हैं एवं जल संसाधन को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो उसे मिलना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमें जल को 'माँ' का सम्मान देना चाहिए, परन्तु जल की स्त्रोत, नदियों की जो हमने हालत बना रखी है उसे बयान की आवश्यकता नहीं है। हमें जल के प्रति इस प्रकार का सम्मान जन सामान्य में पैदा करने की आवश्यकता है।

जहाँ तक राष्ट्रीय जल नीति–2012 के प्रारूप का प्रश्न है मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जल नीति–2012 को बनाने का उद्देश्य यह रखा गया है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ही सोच (Perspective) में एक ही प्रकार के नियम एवं संस्थानों का निर्माण हो। इस उद्देश्य से इस प्रस्तावित नीति के रूप को कानूनी ढाँचे में लाने का प्रस्ताव है। भारत के संविधान के अनुसार ''जल राज्यों की सूची'' से आता है। इस प्रकार की मंशा से इस नीति का गठन करना संविधान के मूल ढाँचे में बदलाव करने की मंशा को

इंगित करता है। अत: मेरे विचार से इस विषय पर कोई भी केन्द्रीय कानून का गठन करना न तो जरूरी है एवं न ही संविधान के प्रावधान के अनुकूल है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल संसाधन नीति के प्रारूप में जो भी प्रावधान रखे गये हैं वे सभी बेहतर प्रबन्धन से संबंधित हैं। नीति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारत के संविधान में अंकित है। मैं समझता हूँ कि आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी राज्य या देश में जल संसाधन का बेहतर से बेहतर प्रबन्धन हो इसलिए वर्तमान प्रावधान जो जल नीति में प्रस्तावित है के मार्गनिर्देशों के रूप में राज्य सरकारों को भेजे जा सकते है, परन्तु उससे भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रस्तावित नीति में अंकित प्रावधानों के अनुरूप कार्य योजना बने और उसका कार्यान्वयन हो जिससे कि जल संसाधन का Sustainable प्रबन्धन सम्भव हो सके।

जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ तक की यह अक्सर कहा जाता है कि ''जल ही जीवन है''। आज जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के Mismanagement के कारण आने वाले समय में इस संसाधन की कमी

या Mismanagement के कारण World War की परिकल्पना भी की जा रही है। एक तरफ हम Integrated Water Resource Management की बात करते है, परन्तु दूसरी तरफ हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कोई Discipline नहीं है जो Integrated Water Resource Management के Expert को तैयार करता है। जल संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान वर्तमान में Civil Engineering की पढ़ाई के एक अंश के रूप में Engineering College में दिया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि Water Engineering के क्षेत्र में एक अलग Engineering का Branch आरम्भ कर Engineering College में इसको विशिष्ट Branch के रूप में रखा जाए।

जल संग्रहण अर्थात डैम निर्माण के लिए वन भूमि के इस्तेमाल और Industry या Mining के लिए वनभूमि के इस्तेमाल, में बहुत ही अन्तर है। एक से एक नया Ecosystem. (Aquatic Ecosystem) बन जाता है, परन्तु दूसरे से Ecosystem बर्बाद होते हैं, परन्तु फिर भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में भारत सरकार ने दोनों ही मामलों को एक साथ रख कर दोनों पर समान मापदण्ड लागू किये हैं, भारत सरकार की यह नीति

बेहतर जल प्रबन्धन में बाधाएँ पैदा कर जल परियोजनाओं में विलम्ब पैदा करने और उनकी निर्माण लागत में कई गुणा बढ़ोत्तरी के लिए जिम्मेवार है। किसी भी परियोजना में वनभूमि से संबंधित Clearance प्राप्त करने में कम से कम 2–3 साल का समय लग जाता है। भारत सरकार की एक नीति भारत सरकार की दूसरी नीति के विपरीत कार्य कर रही है, नतीजा, प्रगति के नाम पर हम जहाँ हैं, वही रह जाते या पीछे चले जाते हैं। भारत सरकार की विभिन्न नीतियों में आपसी सामन्जस्य की भी एक नीति की आवश्यकता है।

झारखण्ड राज्य, अन्य राज्यों की अपेक्षा एक नवसृजित राज्य है। इस राज्य की अनेक नदियों से संबंधित अन्तर्राज्ञीय एकरारनामे उस समय हुए थे, जब यह राज्य एकीकृत बिहार का हिस्सा था। आज के परिप्रेक्ष्य, जब हम इन एकरारनामों की समीक्षा करते हैं तो ऐसा पाते हैं कि यह राज्य के हित में नहीं है। उदाहरणतया दामोदर–बराकर बेसीन के कुल कैचमेन्ट का लगभग 75% भाग झारखण्ड राज्य में पड़ता है, तथा इस बेसीन में डी.भी.सी. द्वारा निर्मित पाँच बड़े जलाशयों में से चार जलाशय (तिलैया, मैथन, पंचेत एवं कोनार) इसी राज्य में अवस्थित है,

जिसके कारण इस राज्य का बड़ा भू–भाग सालों भर जल पलावित रहता है जबकि इस एकत्रित जल का मात्र 25% ही इस राज्य को सिंचाई अन्य क्षेत्र के लिए कर्णांकित है। इसी प्रकार मयूराक्षी बेसीन में निर्मित मसानजोर डैम जो पूर्णत: झारखण्ड राज्य में अवस्थित है, परन्तु उस पर झारखण्ड राज्य का नियंत्रण नहीं है, 100% डूब क्षेत्र झारखण्ड राज्य में पड़ने के बावजूद भी कुल सृजित सिंचाई क्षमता का 25 से 30% हिस्सा ही झारखण्ड राज्य को मिल पाता है। उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि दामोदर–बराकर बेसीन में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DVC Act (Damodar Valley Corporation Act) के अन्तर्गत गठित DVRRC (Damodar Valley Reservoir Regularity Committee) के प्रावधानों के, एवं मयूराक्षी बेसीन में जल के असमानुपातिक बंटवारे के बिन्दुओं पर पुन: समीक्षा की आवश्यकता भारत सरकार के स्तर पर अपेक्षित है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नीति में अन्तर्राज्ञीय नदियों की समस्याओं के संबंध में समाधान हेतु समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत त्वरित कार्रवाई करने के प्रावधानों की आवश्यकता है।

प्रस्तावित जल नीति में हमें औद्योगिक जल के क्षेत्र में शोध एवं विज्ञान हेतु औद्योगिक इकाइयों की और अधिक सहभागिता की

आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। जल की Recycling कर उसके उपयोग के क्षेत्र में शोध कार्य करने की आवश्यकता है। जब भी औद्योगिक इकाइयों को जल दिया जाए तो उन्हें Water use efficiency के सभी क्षेत्रों में Research, Development एवं Innovation के लिए बाध्य कर कुछ राशि खर्च करने की ओर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तभी हम Water Use Efficiency में बड़ा कदम उठा सकेंगे और जल एवं जीवन दोनों को Sustainable बना सकेंगे।